



आर्यसमाज के
नियमोपनियम

॥ ओ३म् ॥

आर्यसमाज के नियमोपनियम

लाहौर, ज्येष्ठ शुक्ला १३ संवत् १९३४ वि० तदनुसार

२४ जून सन् १८७७

आर्यसमाज के नियमोद्देश्य

१. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ-विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।
२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य-पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
३. वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
४. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
५. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
७. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए।
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

आर्यसमाज के उपनियम

नाम

१. इस समाज का नाम आर्यसमाज होगा।

उद्देश्य

२. इस समाज के उद्देश्य वही हैं जो इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं।

आर्य्य

३. जो लोग आर्य्यसमाज में नाम लिखाना चाहें और समाज के उद्देश्य के अनुकूल आचरण स्वीकार करें, वे आर्य्यसमाज में प्रविष्ट हो सकते हैं। परन्तु उनकी अठारह वर्ष से न्यून आयु न हो।

आर्य्यसभासद्

४. क—जिनका नाम आर्य्यसमाज में सदाचार से एक वर्ष रहा हो और वे अपने आय का शतांश वा अधिक, मासिक वा वार्षिक आर्य्यसमाज को दें वे आर्य्यसभासद् हो सकते हैं।

ख—सम्पत्ति देने का अधिकार केवल आर्य्यसभासदों को होगा।

५. जो आर्य्यसमाज के उद्देश्य के विरुद्ध काम करेगा, वह न तो आर्य्य और न आर्य्यसभासद् गिना जावेगा।

६. आर्य्यसभासद् दो प्रकार के होंगे। एक साधारण आर्य्यसभासद् और दूसरे माननीय आर्य्यसभासद्।

माननीय आर्य्यसभासद् वे होंगे, जो शतांश, दश रुपये मासिक, वा इससे अधिक दें; वा एक वार २५०) रुपये दें, वा जिन को अन्तरंगसभा विद्यादि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समझे।

साधारण सभा

७. साधारण सभा तीन प्रकार की होगी—

१. साप्ताहिक, २. वार्षिक, ३. नैमित्तिक।

साप्ताहिक साधारण सभा

८. क—यह सभा प्रत्येक सप्ताह में एक वार हुआ करेगी।

ख—उसमें वेदमन्त्रों का पाठ, उपासना, भजन, कीर्तन और व्याख्यान

हुआ करेंगे।

ग—जो कोई समाजसम्बन्धी मुख्य बात सभा के जानने योग्य हो, वह भी उस सभा में कही जायेगी।

वार्षिक साधारण सभा

९. क—यह सभा प्रतिवर्ष एक ही वार नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए हुआ करेगी—

१. समाज के वार्षिक उत्सव करने के लिये।

२. अन्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारियों के नियुक्त करने के लिये।

३. समाज के पिछले वर्ष का वृत्तान्त सुनने के लिये।

ख—इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन एक महीना पहिले दिया जायेगा।

नैमित्तिक साधारण सभा

१०. क—यह सभा जब कभी आवश्यकता हो, किसी विशेष काम के लिये नीचे लिखी हुई दशाओं में की जायेगी—

१. जब प्रधान और मन्त्री चाहें।

२. जब अन्तरंग सभा चाहे।

३. जब आर्य्यसभासदों का बीसवां अंश इस निमित्त मन्त्री के पास लिखकर पत्र भेजे।

ख—इस सभा के होने के समय आदि का विज्ञापन समयानुकूल पहिले दिया जायेगा।

अन्तरङ्ग सभा

११. समाज के सब कार्य्यों के प्रबन्ध के लिये एक अन्तरंग सभा नियुक्त की जायेगी। और इसमें तीन प्रकार के सभासद् होंगे अर्थात् (१) प्रतिनिधि (२) प्रतिष्ठित (३) अधिकारी।

१२. प्रतिनिधि सभासद् अपने-अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे और उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे, अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है।

१३. सभासदों के विशेष काम ये होंगे—

क—अपने-अपने समुदायों की सम्मति से अपने को विज्ञ रखना।

ख—अपने-अपने समुदायों को अन्तरंगसभा के काम, जो कि प्रकट करने योग्य हों, बतलाना।

ग—अपने-अपने समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना।

१४. प्रतिष्ठित सभासद् विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक या नैमित्तिक साधारण सभा में नियत किये जायेंगे, प्रतिष्ठित सभासद् अन्तरंग सभा में एक तिहाई से अधिक न होंगे।
१५. वर्ष के पीछे अन्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जायेंगे। और कोई पुराना प्रतिष्ठित सभासद् और अधिकारी पुनर्वार नियत हो सकेगा।
१६. जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद् वा अधिकारी का स्थान रिक्त (खाली) हो, तो अन्तरंग सभा आप ही उसके स्थान पर किसी और योग्य पुरुष को नियत कर सकेगी।
१७. अन्तरंग सभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है, परन्तु वह आर्यसमाज के नियमों और उपनियमों से विरुद्ध न हो।
१८. अन्तरंग सभा किसी विशेष काम के करने और सोचने के लिये, अपने में से सभासदों और विशेष गुण रखने वाले और सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है।
१९. अन्तरंग सभा का कोई सभासद् मन्त्री को एक सप्ताह पहले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे और वह (विषय) प्रधान की आज्ञानुसार निवेदन किया जावेगा। परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में अन्तरंग सभा के पांच सभासद् सम्मति दें, वह अवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा।
२०. दो सप्ताह के पीछे अन्तरंग सभा एक वार अवश्य हुआ करेगी, और मन्त्री और प्रधान की आज्ञा से, वा जब अन्तरंग सभा के पांच सभासद् मन्त्री को पत्र लिखें तो भी हो सकती है।

अधिकारी

२१. अधिकारी पांच प्रकार के होंगे—

(१) प्रधान, (२) उपप्रधान, (३) मन्त्री, (४) कोषाध्यक्ष, (५) पुस्तकाध्यक्ष।

२२. मन्त्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष इनके अधिकारों पर आवश्यकता होने से एक से अधिक पुरुष भी नियत हो सकते हैं, और जब किसी अधिकार पर एक से अधिक पुरुष नियत हों, तो अन्तरंगसभा उन्हें काम बांट देगी।

प्रधान

२३. प्रधान के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे—

१. प्रधान अन्तरंग सभा और समाज का और सब सभाओं का सभापति समझा जावेगा।
२. सदा समाज के सब कामों के यथावत् प्रबन्ध करने में सर्वथा समाज की उन्नति और रक्षा के लिये तत्पर रहेगा, समाज के प्रत्येक कामों को देखेगा कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और स्वयं नियमानुसार चलेगा।
३. यदि कोई विषय कठिन और आवश्यक प्रतीत हो, तो उसका यथोचित प्रबन्ध उसी समय करेगा। और उसके बिगड़ने में उत्तरदाता वही होगा।
४. प्रधान अपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का, जिन्हें कि अन्तरंग सभा संस्थापन करे, सभासद् होगा।

उपप्रधान

२४. उपप्रधान, प्रधान के अनुपस्थित होने पर उसका प्रतिनिधि होगा। यदि दो वा अधिक उपप्रधान हों, तो सभा की सम्मति अनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावेगा। परन्तु समाज के सब कामों में प्रधान को सहायता देनी, उसका मुख्य काम होगा।

मन्त्री

२५. मन्त्री के नीचे लिखे गये अधिकार और काम होंगे—

१. अन्तरंग सभा की आज्ञानुसार समाज की ओर से सबके साथ पत्रव्यवहार रखना और समाजसम्बन्धी चिट्ठी और सब प्रकार के विशिष्ट पत्रों को सम्भालकर रखना।

२. समाज की सभाओं का वृत्तान्त लिखना और दूसरी सभा होने से पहिले ही उसको वृत्तान्त-पुस्तक में लिखना वा लिखवा देना।
३. मासिक अन्तरंग सभाओं में उन आर्यों वा आर्यसभासदों के नाम सुनाया करना, जो पिछली मासिक सभा के पीछे आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए हों या उससे पृथक् हुए हों।
४. सामान्य प्रकार से समाज के भृत्यों के काम पर दृष्टि रखना, और समाज के नियम उपनियम और व्यवस्थाओं के पालन पर ध्यान रखना।
५. पाठशाला की उपसभा के आज्ञानुसार पाठशाला का सामान्य प्रकार से प्रबन्ध करना।
६. इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक आर्य सभासद् किसी न किसी समुदाय में से हो, और इसका कि प्रत्येक समुदाय ने अपनी ओर से अन्तरंग सभा में प्रतिनिधि दिया हो।
७. पहिले विज्ञापन दिये जाने पर माननीय पुरुषों को सभा में सत्कारपूर्वक बैठाना।
८. प्रत्येक सभा में नियत काल पर आना और बराबर ठहरना।

कोषाध्यक्ष

२६. कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे अधिकार और काम होंगे—
 १. समाज के सब आय धन का लेना, उसकी रसीद देना और उसको यथोचित रखना।
 २. किसी को अन्तरंग सभा की आज्ञा विना रुपया न देना, वरन् मन्त्री और प्रधान को भी उस परिमाण से जितना कि अन्तरंग सभा ने उनके लिये नियत किया हो, अधिक न देना। और उस धन के उचित व्यय के लिये वही अधिकारी जिसके द्वारा वह व्यय हुआ हो उत्तरदाता होगा।
 ३. सब धन के आय-व्यय का रीति पूर्वक बहीखाता, और प्रतिमास अन्तरंग सभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना।

पुस्तकाध्यक्ष

२७. पुस्तकाध्यक्ष के अधिकार और काम ये होंगे।
पुस्तकालय में जो समाज की स्थिर पुस्तक और विक्रय पुस्तक हों उन सबकी रक्षा करे, और पुस्तकालयसम्बन्धी हिसाब किताब रक्खे, और पुस्तकों के लेने, देने, मंगवाने और बेचने का काम भी करे।

मिश्रित

२८. सब आर्य सभासदों की सम्मति पत्र द्वारा निम्नलिखित दशाओं में ली जायगी।
 १. जब अन्तरंग सभा का यह निश्चय हो कि समाज की भलाई के लिये किसी साधारण सभा के सिद्धान्त पर निर्भर न करना चाहिये, वरन् सब आर्यसभासदों की सम्मति जाननी चाहिये।
 २. जब सब आर्य सभासदों का बीसवां वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिखकर भेजे।
 ३. जब बहुत से व्ययसम्बन्धी या प्रबन्ध-सम्बन्धी, वा नियम वा व्यवस्थासम्बन्धी कोई मुख्य प्रस्ताव करना हो; अथवा जब अन्तरंगसभा सब आर्यसभासदों की सम्मति चाहे।
२९. जब किसी सभा में वा थोड़े से समय के लिये कोई अधिकारी उपस्थित न हो, तो उसके स्थान में उस समय के लिये किसी योग्य पुरुष को अन्तरंग सभा नियत कर सकती है।
३०. किसी अधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में जब तक कोई पुरुष नियत न किया जावे, तो तब तक वही अधिकारी अपना काम करता रहेगा।
३१. सब सभा और उपसभाओं का वृत्तान्त लिखा जाया करेगा और उसको सब आर्यसभासद् देख सकेंगे।
३२. सब सभाओं का और उपसभाओं के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित होंगे।
३३. आय का दशांश समुदाय धन में रक्खा जायेगा।
३४. सब आर्य और आर्यसभासदों को संस्कृत वा आर्य भाषा (हिन्दी)

जाननी चाहिये।

३५. सब आर्य्य और आर्य्यसभासदों को उचित है कि लाभ और आनन्द के समय समाज पर भी दृष्टि रक्खें।
३६. सब आर्य्य और आर्य्यसभासदों को उचित है कि शोक और दुःख के समय में परस्पर सहायता करें और आनन्द उत्सव में निमन्त्रण पर सहायक हों और छोटाई-बड़ाई न गिनें।
३७. कोई आर्य्य भाई किसी हेतु से अनाथ हो जाये वा किसी की स्त्री विधवा वा सन्तान अनाथ हो जावे अर्थात् उसका किसी प्रकार जीवन न हो सकता हो और यदि आर्य्यसमाज इसको निश्चित जान ले, तो आर्य्यसमाज उसकी रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे।
३८. यदि आर्य्यसमाज में किसी का आपस में झगड़ा हो तो उनको योग्य होगा कि वे उसको आपस में समझ लें वा आर्य्यसमाज की न्याय-उपसभा द्वारा उसका न्याय करा लें।
३९. यह उपनियम वर्ष पीछे यथोचित विज्ञापन देने पर शोधे या बढ़ाये-घटाये जा सकते हैं।

